



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-29052026-272915
CG-CG-E-29052026-272915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2582]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2582]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISHTHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 27 मई, 2026

का.आ. 2675(अ).—केन्द्रीय सरकार, (रेल अधिनियम, 1989 का 24) 1989 की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गज़ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती हैं।

सारणी

क्रमांक सं.	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (बिलासपुर जिला)
2.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (बिलासपुर जिला)
3.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (बिलासपुर जिला)

4.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (रायपुर जिला)
5.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (रायपुर जिला)

[फा. सं. सीएओ /सी/बीएसपी/ईस्ट वेस्ट/डीएफसी/ डानकुनी-सूरत/7ए]
मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 27th May, 2026

S.O. 2675(E).—In exercise of power conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the state of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

Table

S. No.	Competent Authority	Name of Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Bilaspur	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west (Bilaspur District)
2.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Bilha	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west (Bilaspur District)
3.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Takhatpur	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west (Bilaspur District)
4.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Tilda	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west (Raipur District)
5.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Raipur	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west (Raipur District)

[F. No. CAO/C/BSP/East West/DFC/Dankuni-Surat/7A]
MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Construction)